उनवानः— मिश्रा बनाम तहसीलदार

मु0न0ः— 24/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 03.03.2023

मु0न0 24/2023

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम। वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम।
2. धनफूल पुत्र मूल्या
3. विश्राम पुत्र मूल्या
4. हरि पुत्र मूल्या

जातियान बैरवा निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः— 31.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माधोपुरा की आराजी ख0न0 304/1.30, 361/0.25, 371/0.29 है0 मे वादी का नाम मिश्रा पुत्र मूल्या के स्थान पर मिसरा पुत्र मूल्या के नाम खातेदारी मे दर्ज कर रखा है तथा जाति बैरवा के स्थान पर चमार कर रखी है, मूल्या के फौत होने पर मूल्या की विरासत खोलते समय वादी नाम मिश्रा पुत्र मूल्या के स्थान पर मिसरा पुत्र मूल्या अंकित कर दिया जबकि अन्य तीनो भाईयो का नाम धनफूल, विश्रामव हरि सही अंकित किया है। तथा धनफूल की जाति बैरवा सही अंकित कर रखी है जबकि अन्य के नाम के आगे जाति चमार कर रखी है जिसे वादी को दुरूस्त कराने का हकदार है।

वादी के समस्त दस्तावेजात मे मिश्रा पुत्र मूल्या है जो सही है इसलिये सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजात मे अडचन आती है।

वादी को दिनांक 07.02.2023 को उक्त गलती का मालुम चलने पर वादी तहसीलदार टोडाभीम कार्यालय मे दस्तावेज लेकर मिला तथा नाम दरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय मे नाम दुरूस्त कराने को आदेश लाने को कहा इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रति[illegible] माधोपुरा की आराजी ख0न0 304/1.30, 361/0.25, 371/0.29 है0 मे वादी [illegible] मिसरा पुत्र मूल्या के स्थान पर मिश्रा पुत्र मूल्या अंकित किया जावे तथा जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मु0न0:– 24/2023

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे मिसरा पुत्र मूल्या दर्ज रिकार्ड है। एवं मुताबिक रिकार्ड आधार कार्ड, पहचानपत्र एवं राशनकार्ड मे मिश्रा पुत्र मूल्या दर्ज है। मिसरा पुत्र मूल्या व मिश्रा पुत्र मूल्या एक ही व्यक्ति है अतः राजस्व रिकार्ड मे मिसरा पुत्र मूल्या के स्थान पर मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा निवासी मातासूला किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम मिसरा पुत्र मूल्या जाति चमार दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादी का सही नाम मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा है। वादी के समस्त दस्तावेजात मे मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा का अंकन है। इसलिये वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम मिसरा पुत्र मूल्या जाति चमार के स्थान पर मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे मिसरा पुत्र मूल्या जाति चमार दर्ज रिकार्ड हैं वादीगण के दस्तावेजात आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, एवं पहचान पत्र मे वादीगण का नाम मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा दर्ज है। तथा मिसरा पुत्र मूल्या व मिश्रा पुत्र मूल्या एक ही व्यक्ति है। अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे शुद्व किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम माधोपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के ख0न0 304/1.30 है0 मे वादी का नाम मिसरा पुत्र मूल्या हिस्सा 1/4 जाति चमार तथा ख0न0 361/0.25, 371/0.29 है0 मे मिसरया पुत्र मूल्या हिस्सा 1/12 जाति चमार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादी का आधार कार्ड न0 6009 6961 2279, तथा ग्राम माधोपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के ख0न0 286/0.24, 724/602/0.04 है0 मे मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा का अंकन है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस मे नाम दुरूस्ती करने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम माधोपुरा की आराजी ख0न0 304/1.30, 361/0.25, 371/0.29 है0 मे मिसरा पुत्र मूल्या जाति चमार के स्थान पर मिश्रा पुत्र मूल्या जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:40:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी